पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र०
(राज्यपाल सूचना परिसर )

----

# राज्यपाल जी को प्रदेश के लोकायुक्त ने 'लोकायुक्त प्रशासन वर्ष 2022 का वार्षिक प्रतिवेदन' सौंपा

------

लखनऊ : 01 फरवरी, 2024

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा ने भेंट की और उनके समक्ष लोकायुक्त प्रशासन वर्ष 2022 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

लोकायुक्त ने राज्यपाल जी को अवगत कराया कि वर्ष 2022 में कुल 1833 परिवाद निस्तारित किए गए, जिसमें प्रारम्भिक स्तर पर निस्तारित परिवादों की संख्या 1151, अन्वेषण के बाद निस्तारित वादों की संख्या 682 रही। लम्बित परिवादों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर, 2022 तक शेष लम्बित परिवादों की संख्या 2152 रही है।

इसी क्रम में अन्य जानकारियाँ देते हुए उन्होंने बताया कि लोक आयुक्त संगठन द्वारा वर्ष 2022 में कुप्रशासन से सम्बन्धित प्रकरणों में परिवादियों को राहत दिलाते हुए रू0 369.38 लाख धनराशि का भुगतान कराया गया। इस भुगतान में सेवानिवृत्ति सम्बन्धी मामलों में राहत पहुँचाए जाने के प्रकरण भी शामिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त ने वर्ष 2022 में कुल 43 प्रतिवेदन, 03 संस्तुति तथा 04 विशेष प्रतिवेदन भेजे हैं।

गौरतलब है कि गत वर्ष लोकायुक्त द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन भेंट करते समय राज्यपाल जी द्वारा अपेक्षा की गई थी कि लोकायुक्त संगठन के बारे में जन–जागरूकता और विद्यार्थियों के मध्य भी जानकारी दी जाए। आज राज्यपाल जी से भेंट के दौरान लोकायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस संगठन के अधिकार, कार्य प्रणाली तथा परिवाद दायर करने सम्बन्धी जानकारी का जनमानस में प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न जनपदों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। वर्ष–2022 में ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के 44 विद्यार्थियों को ग्रीष्म कालीन तथा शीत कालीन अवकाश के दौरान व्यवहारिक प्रशिक्षण और अध्ययन भी कराया गया।

राज्यपाल जी ने शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया पर लोकायुक्त महोदय से विशेष चर्चा की। उन्होंने लम्बित शिकायतों के वर्षवार विवरण की जानकारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ भी दण्ड का व्यवस्था हो। लोकायुक्त महोदय ने बताया कि शिकायतकर्ता से शिकायत के समय एक प्रतिभूति राशि जमा करायी जाती है, जो शिकायत सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता को वापस करने का नियम है। उन्होंने ऐसी ही अन्य जानकारियों के बारे में भी राज्यपाल जी को अवगत कराया। राज्यपाल जी ने सुझाव दिया कि लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु सरकार से उसके कारणों और सुझावों के साथ चर्चा की जाए।

इस अवसर पर लोकायुक्त महोदय के साथ उपलोकायुक्त श्री शम्भू सिंह यादव, श्री दिनेश कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र कुमार यादव तथा कार्यवाहक सचिव श्री राजेश कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

-----

संपर्क :
डा0 सीमा गुप्ता
सहायक निदेशक/राजभवन
सम्पर्क सूत्र– 8318116361